

## क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश

कार्यक्रम का नाम— प्रसव पूर्व लिंग जाँच (दुरुपयोग निवारण अधिनियम) (PNDT)

बजट / एफ०एम०आर० शीर्ष— District level gender sensitisation of block officials

बजट क्रम संख्या / एफ०एम०आर० कोड संख्या— A.7.2.5

### कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण —

शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ एक तथ्य जो स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है वह है लड़के के जन्म को विशेष प्राथमिकता देना एवं बच्चियों की संख्या में निरंतर आती गिरावट । जैसा कि आप अवगत है, बिहार राज्य में महिला लिंग अनुपात 919 (संसस 2001) से 916 (संसस 2011) हो गया है एवं कन्या लिंग अनुपात (0 से 6 वर्ष) जो 942 (संसस 2001) था वह 933 (संसस 2011) हो गया है । यह अत्यंत चिन्तनीय विशय है ।

विज्ञान में होने वाली प्रगति एवं अल्ट्रासाउंड की वर्तमान तकनीक में आता हुआ निरंतर विकास भी लिंगानुपात में आती गिरावट के लिए जिम्मेवार है । इस विषय का बहुत गंभीरता से निराकरण करने की आवश्यकता है । स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि के रूप में जहाँ एक ओर हमें सामाजिक स्तर पर लड़के एवं लड़की में विभेद करने के विरुद्ध जागरूकता लानी है वहीं अपने तंत्र को भी सशक्त बनाते हुए पी०सी० एवं पी०एन०डी०टी० संबंधित कानून को सख्ती से लागू करने की व्यवस्था भी करनी है ।

### वित्तीय दिशा निर्देश

जिला स्तरीय लिंग संवेदीकरण से संबंधित कार्यशाला का आयोजन : पी०सी० एण्ड पी०एन०डी०टी० एक्ट को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन हेतु जिले में प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं बी०एच०एम० का लिंग संवेदीकरण से संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया जाना है ।

### जिला स्तरीय कार्यशाला हेतु आवंटित राशि की विवरणी

क्रम सं०	कार्यशाला में व्यय होने वाले मद	इकाई राशि (रु० में)
1.	Venue and Logistics	3000 रु० प्रति जिला
2.	Lunch	150 /— रु० प्रति प्रतिभागी
3.	प्रतिभागियों के लिये फोल्डर, पेन, नोटपैड इत्यादि	100 /— रु० प्रति प्रतिभागी
4.	मिशलेनियस	2000 /— प्रति जिला

इस संदर्भ में पूर्व में प्रेषित पत्र संख्या एवं तिथि :

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम—डा० एन० के० मिश्रा, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी  
संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर—9470003022

13/7/13